बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक– सं0सं0–रे0/यो0/रि0से0–37/16 1396 पटना, दिनांक– 28-03-18

प्रेषक,

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार(ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार *

विषय :– वित्तीय वर्ष 2017–18 में रीलिंग यूनिट, किशनगंज को पुनर्जीवित करने के लिए रू0 62,60,000/– (बासठ लाख साठ हजार) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है वित्तीय वर्ष 2017–18 में रीलिंग यूनिट, किशनगंज को पुनर्जीवित एवं विकसित करने के लिए रू0 62,60,000/– (बासठ लाख साठ हजार) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। कार्यक्रमवार स्वीकृत राशि निम्नांकित है –

(रू0 लाख में)

क्र0सं0	कार्यक्रम	कुल लागत
1	मशीन एवं उपकरण	13.55
2	आकस्मिक निधि	1.355
3	कार्यशील पूँजी	47.695
	कुल	**62.600**

(बासठ लाख साठ हजार सोलह)

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि रू0 62,60,000/– (बासठ लाख साठ हजार) मात्र का व्यय मुख्यशीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–107–रेशम उत्पादन उद्योग, उपशीर्ष–0101 पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना–रेशम का विकास, विपत्र कोड–23-2851001070101 के अन्तर्गत विषय शीर्ष –0101.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण मद से विकलित होगा। इसके लिए यथेष्ट उपबंध उपलब्ध है।

3. उपर्युक्त स्वीकृत राशि की एकमुश्त निकासी BTC Form 42 पर सहायक उद्योग निदेशक (रे0), पूर्णिया द्वारा जिला कोषागार, पूर्णिया से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, बिहार, पटना के पक्ष में की जाएगी। वें राशि की निकासी कर जीविका को योजना कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध करा देंगे। वे इस योजना का अपने स्तर से पर्यवेक्षण भी करेंगे। स्वीकृत राशि की निकासी में बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 176 एवं 177 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4. इस योजना का कार्यान्वयन जीविका द्वारा किया जाएगा। वे आवश्यकतानुसार सहायक उद्योग निदेशक (रे0), पूर्णिया/केन्द्रीय रेशम बोर्ड के पदाधिकारियों से तकनीकी मार्गदर्शन लेकर योजना कार्यान्वित करेंगे। कार्यशील पूँजी चक्रीय निधि के रूप में कार्य करेगा। यूनिट का संचालन जीविका अपने उत्पादक समूह के माध्यम करेगा। इसका व्यय मलवरी किसानों द्वारा उत्पादित कोए के क्रय एवं उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्रियों पर किया जाएगा। पुनः उत्पादित सूत की बिक्री से प्राप्त राशि से इसकी भरपाई की जाएगी। इस प्रकार यह पूँजी अक्षुण्न बना रहेगा। जीविका अपने Procurement Guidelines के अनुसार मशीन/सामग्रियों का क्रय करेगा।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना होंगे।

6. यह राज्यादेश संचिका संख्या– *सं0सं0–रे0/यो0/वी0से0–37/16* के पृष्ठ 15/टि0 पर दिनांक 27.03.2018 को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

7. राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

8. वित्त विभागीय पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. अग्रिम निकासी के प्रस्ताव में माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

सरकार के अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–, सं0सं0–रे0/यो0/वी0से0–37/16 1396 *पटना,दिनांक–* 28-03-18

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–, सं0सं0–रे0/यो0/वी0से0–37/16 1396 *पटना,दिनांक–* 28-03-18

प्रतिलिपि– सहायक उद्योग निदेशक (रे0), पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– सं0सं0–रे0/यो0/वी0से0–37/16 1396 *पटना,दिनांक–* 28-03-18

प्रतिलिपि–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–, सं0सं0–रे0/यो0/वी0से0–37/16 1396 *पटना,दिनांक–* 28-03-18

प्रतिलिपि– वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, ह०रे०, बिहार,पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, किशनगंज/योजना शाखा, उद्योग विभाग/बजट शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ तथा आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।